

FORM NO.III

फर्द अहकाम  
( नियम 26)

अज अदालत :- जिला कलेक्टर पाली

अपीलांत:-

बनाम

रेस्पोंडेन्ट :-

श्री कैलाश शंकर पुत्र रूपराज सुथार,  
निवासी बसंत, तहसील सुमेरपुर जिला पाली  
(राज.)

सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार)  
सुमेरपुर

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 21 / 2019

R.C.M.S. No. --2019/00

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21/5/19	<p>अपीलांत ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सुमेरपुर द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है । अपील दर्ज रजिस्टर हो । रेस्पोंडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 29/5/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर, पाली</p>	<p>584-65 6/5/19</p>
29/5/19	<p>अपीलांत द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी (TDR) सुमेरपुर द्वारा अपील के प्राप्ति पर कर वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। वांछित सूचना उपलब्ध करने हेतु TDR सुमेरपुर को निर्देशित किया जाये। इस न्यायालय द्वारा जारी पत्रांक 564 दि 6-5-2019 के सूचना उपलब्ध करने हेतु निर्देशित किए जाते थे। उन्होंने पत्रांक 55 दि 24-5-2019 के द्वारा प्राप्ति को उनके द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत होने से अपील का उपलब्ध करने का प्रावधान नहीं होने से अपील कराना संभव नहीं होगा जैसा कि अपील में सूचना का एवं दस्तावेजों का अवलोकन करने की इजाजत दी गई है। प्रस्तुत प्राप्ति पत्रावली है। पत्र की स्वाभाविक रूप से अपील के सूचना के प्राप्ति की जाये। इस अपील के साथ इस हेतु पर कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अपीलाण्ट को पत्रावली के माध्यम से जारी है।</p> <p>पत्रावली इस न्यायालय से सुगाह फौजदारी की जाकर इस न्यायालय के माध्यम से कर रहे।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर, पाली</p>	<p>761 4/6/19</p>